



**जोधपुर विद्युत
वितरण निगम
लिमिटेड**

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(सी.एड पी.)/अ.अ.(आर.ए.-सी.)/फा /प्रे. 1003 दि. 06/08/08

आदेश

विषय: ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू श्रेणी के अन्तर्गत "मुख्यमंत्री सब के लिये विद्युत योजना" की क्रियान्विति के सम्बंध में पूर्व में जारी आदेशों में आंशिक संशोधन हेतु।

माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान के बजट भाषण 2008-09 में "मुख्यमंत्री सब के लिये विद्युत योजना" की घोषणा के अनुरूप तैयार की गयी योजना की क्रियान्विति के लिये जारी आदेश संख्या जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(सी.एड पी.)/अ.अ.(आर.ए.-सी.)/फा/प्रे. 326 दिनांक 03.05.08 (वाणिज्य-जोधपुर डिस्कॉम/435) के तहत दिशा निर्देश जारी किये गये थे एवम् आदेश क्रमांक जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(सी.एडपी.)/अ.अ.(आर.ए.-सी.)/फा/प्रे. 761 दिनांक 05.07.2008 (वाणिज्य-जोधपुर डिस्कॉम/443) के द्वारा प्रथम चरण के आवेदन स्वीकार करने की तिथि को 31 जुलाई 2008 तक बढ़ाया गया था।

इस सम्बंध में निगम के अधिकारियों द्वारा "मुख्यमंत्री सब के लिये विद्युत योजना" की क्रियान्विति में आ रही कठिनाईयों से अवगत कराया गया। इस विषय में विचार विमर्श करके यह निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी आदेशों में संशोधन जारी किया जावे।

अतः उपरोक्त निर्णय की अनुपालना में निम्नलिखित निर्देश तुरन्त प्रभाव से जारी किये जाते हैं:-

1. इस योजना के अन्तर्गत दिनांक 31 अगस्त 2008 तक आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।
2. इस योजना में ढाणियों के अतिरिक्त गांवों के Habitat Areas को भी शामिल कर लिया जाये और उसके आवेदकों के प्रार्थना पत्र भी 31 अगस्त 2008 तक स्वीकार किये जायें।
3. यदि पूर्व में गैर आबादी क्षेत्र में प्राप्त प्रार्थना-पत्रों को निरस्त कर दिया गया हो एवं ऐसे मामले अब यदि "मुख्यमंत्री सब के लिये विद्युत योजना" की परिधि में आते हो तो उन प्रकरणों पर पुनः कार्यवाही की जावे। इस तरह के प्रकरणों पर पुनः कार्यवाही हेतु आवेदक से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

4. यदि किसी स्थानीय क्षेत्र (Locality) में प्राप्त आवेदनों का गुप बनाने में एक या दो आवेदक कम पड़ते हो तो 31.03.2008 के पश्चात् प्राप्त आवेदनों को इस योजना के अन्तर्गत कनेक्शन देने हेतु निरूपित (Consider) कर लिया जायें।

आज्ञा से

21/03/08
(एम.एस. फर्ग्यूसन)

मुख्य अभियन्ता (सी. एण्ड पी.)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- ऊर्जा सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- आयुक्त, जोधपुर/बीकानेर।
- जिला कलेक्टर, जोधपुर / पाली / बाड़मेर / जालोर / चूरु / श्रीगंगानगर / हनुमानगढ़ / बीकानेर / सिरोही / जैसलमेर।
- डायरेक्टर (फाईनेन्स), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- संभागीय मुख्य अभियन्ता (जोधपुर/बीकानेर जोन), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर।
- उपमुख्य अभियन्ता (एम.एम.सी.) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- मुख्य लेखाधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- प्रादे. सहा. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर को अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
- प्रादे. सहा. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर/अजमेर डिस्कॉम, जोधपुर/अजमेर को प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
- अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/पवस/टर्न-की/पीपीएम/एम.एण्डपी/बी.एफ.एल./विजिलेन्स/एमएमसी) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालोर/बाड़मेर/चूरु/बीकानेर/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/जैसलमेर।
- निजी सचिव, माननीय ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय ऊर्जा मंत्री के अवलोकनार्थ।
- निजी सचिव, सलाहकार(एम), राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय सलाहकार(एम) के अवलोकनार्थ।
- सहायक अधिकारी, Ombudsman-Commissioner, Collectorate, जोधपुर।
- अति. पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर (आपके अधिकारियों को भेजने हेतु अतिरिक्त प्रतिया संलग्न।
- वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (नगर/जिला/पवस/एम.एम.अंकेक्षण/वाणिज्य/सीपीसी एवं रोकड़) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालोर/बाड़मेर/चूरु/बीकानेर/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़।
- कम्पनी सचिव, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- प्रादेशिक सहायक मुख्य अभियन्ता (सी. एण्ड पी.), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधिशासी अभियन्ता (), जोधपुर डिस्कॉम
- जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- सहायक अभियन्ता (), जोधपुर डिस्कॉम (आप के अधीनस्थ कार्यरत समस्त कनिष्ठ अभियन्ताओं की अतिरिक्त प्रतियां संलग्न हैं)।
- माननीय श्री (सांसद/विधायक/जिला प्रमुख)

21/03/08
मुख्य अभियन्ता (सी. एण्ड पी.)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर